



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14062022-236555
CG-DL-E-14062022-236555

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2575]
No. 2575]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 13, 2022/ज्येष्ठ 23, 1944
NEW DELHI, MONDAY, JUNE 13, 2022/JYAISTHA 23, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जून, 2022

का.आ. 2702(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश राज्य में यमुनानगर एवं सिरमौर जिले के जगाधरी - छछरौली -पौंटा साहिब सड़क खंड राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 73-A (नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-907) के किमी 0.000 से किमी 52.794 तक के भुखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश राज्य में यमुनानगर एवं सिरमौर जिले के जगाधरी-छछरौली-पौंटा साहिब सड़क खंड राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 73-A (नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-907) के किमी 0.000 से किमी 52.794 तक की भूमि का अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	डीआरओ, यमुनानगर	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH73A (NH-907) के कि.मी. 0 से 46.3 तक	हरियाणा	यमुनानगर	जगाधरी	1 भम्भोली (435)

[फा. सं. NHAI/PIU/CHD/11162/73-A/]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th June, 2022

S.O. 2702(E).— In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of **Jagadhri-Chhachhrouli-Poanta road section of NH-73A (New NH-907)** land from Km 0.000 to Km. 52.794 of the NH-73-A (NH-907), for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation falling in District Yamunanagar and Sirmaur in the State of Haryana and Himachal Pradesh.

SCHEDULE

Land acquisition of **Jagadhri-Chhachhrouli-Poanta road section of National Highway No.73-A (New NH-907)** falling in District Yamunanagar and Sirmaur in the State of Haryana and Himachal Pradesh.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	DRO, Yamunanagar	0 KM To 46.3 KM	HARYANA	YAMUNA NAGAR	Jagadhri	1 Bhambholi (435)

[F. No. NHAI/PIU/CHD/11162/73-A/]

RAJESH GUPTA, Director